



40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी हरियाणा 2024

विवरण पत्रिका

(नियमावली)



महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
हरियाणा

क्रम—सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1
2.	नियम दाखला	2
3.	दाखले योग्य पशु	2
4.	पशु स्वास्थ्य	3
5.	संक्रामक रोगों की रोकथाम	3
6.	प्रदर्शनी नम्बर	3
7.	प्रतियोगिताएं (गुकाबले)	4
8.	ब्रीड वैम्पियनशिप	4
9.	ईनागों का विवरण	4
10.	जजिंग (आंकलन)	5
11.	प्रतियोगिता	5
12.	पुरस्कार वितरण समारोह	5
13.	प्रदर्शनी में पशुओं का रहने-सहन	6
14.	पशुओं की खुराक	6
15.	पशु रथ्यान की राफाई आदि	6
16.	दुर्घटना या चोरी गा-जित दूध दही का खाणा	6
17.	अनुशासन व प्रशासन	7
18.	पशु पालकों की बैठक	7
19.	नियन्त्रण	7
20.	प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पशुओं की श्रेणी	8-9
21.	प्रवेश याचिका	10-11
22.	पुरस्कार राशि भुगतान फार्म	12

2

भूमिका

इस राज्य पशुधन प्रदर्शनी में भिन्न-भिन्न प्रकार के पशु जैसे गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़े, घोड़े तथा बकरियां आदि भाग लेंगे।

हरियाणा राज्य मुर्गाह भैंसों की अपने सर्वश्रेष्ठ दुग्ध उत्पादन तथा अन्य गुणों के कारण दूसरे राज्यों / देशों में अत्यधिक मांग है। राज्य में वर्तमान युग में प्रचलित पशुधन सम्बन्धित आधुनिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान द्वारा पशु प्रजनन प्रणाली को अपनाकर उच्च कोटि के पशु पैदा किए जा रहे हैं।

उच्च गुणवत्ता युक्त पशुधन की प्रगति को प्रदर्शनी के रूप में ही देखा जा सकता है, जहाँ गिन्न-गिन्न नस्ल के बढ़िया पशु मुकाबले के लिए आते हैं। पशु प्रदर्शनी को लगाने का मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से है :—

1. पशुपालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने हेतु उन्हें भली-भांति पुरस्कृत किया जाता है ताकि उनका ध्यान पशुओं की नस्ल सुधारने की ओर आकर्षित हो और वे अधिक से अधिक प्रदर्शनियों का गांग ले सकें।
2. पशु प्रदर्शनी प्रान्त में जल नदी नई-नई परियोजनाओं के फलस्वरूप हुई प्रगति की जानकारी प्राप्त करने का एक सुअवसर प्रदान करती है।
3. इन प्रदर्शनियों से प्रोत्साहित हो कर किसान अपने पशुओं की नस्ल सुधार, रखरखाव तथा संतुलित आहार आदि की ओर अधिक ध्यान देता है, जिसके परिणामस्वरूप वे ऐसे पशुओं को पाल कर व बेच कर अधिक पैसा कमा सकते हैं। इससे विदित है कि पशुधन प्रदर्शनी किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रत्यक्ष साधन है।
4. प्रदर्शनी में पशु पालकों को उन्नत किस्म के पशुओं को देखने का अवसर मिलता है जिससे वह अच्छे पशुधन का चुनाव कर सकते हैं और अपने पशुधन में सुधार ला सकते हैं।

1. नियम दाखला

इस प्रदर्शनी में हरियाणा राज्य के विभिन्न जाति व नस्ल के पशुपालकों के निजि पशु, गौशालाओं के पशु तथा सरकारी संस्थानों के पशु भाग ले सकते हैं। जो पशुपालक अपने पशुओं को इस प्रदर्शनी में सम्मिलित करना चाहें वे निर्धारित (दिए गए) पंजीकरण आवेदन पत्र, अपने समीप के पशु चिकित्सक/उप मंडल अधिकारी/उपनिदेशक पशुपालन या फिर “प्रदर्शनी नियोजक” से प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण आवेदन पत्र पूर्णतया भर कर जिले के उपनिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग को गोज दे। दाखला निःशुल्क है, उचित होगा कि पशुपालक इस सम्बन्ध में अपने समीप के पशु चिकित्सक से सम्पर्क स्थापित करें, ताकि पूरी जानकारी व सुविधा प्राप्त कर सके।

2. दाखले योग्य पशु

1. मुराह नस्ल के पशु (गास, झोटी, 1 से 2 वर्ष के बाल पशु और प्रजनन योग्य झोटी)
2. हरियाणा नस्ल के पशु (गाय, बहड़ी, बैल तथा प्रजनन योग्य सांड)
3. साहिवाल नस्ल के पशु (गाय, बहड़ी, बैल तथा प्रजनन योग्य सांड)
4. थारपारकर, राठी, गिर, बिलाही (दुधारु गाय एवं सांड)
5. विदेशी (एग्जोटिक)/संकर नस्ल के पशु (गाय, बहड़ी, प्रजनन योग्य सांड)
6. गौशाला के गौजातीय पशु (गाय, बहड़ी, तथा प्रजनन योग्य हरियाणा नस्ल एवं साहीवाल नस्ल सांड)
7. अश्व जातीय पशु (घोड़ा, घोड़ी, बच्छेरा, बच्छेरी, गैलडिंग, डंकी मेयर, डंकी स्टेलियन)

8. ऊंट व ऊंटनी
9. भेड़ें (नाली, हिसार डेल)
10. बकरियां व बकरा (कोई भी नस्ल)

3. पशु स्वास्थ्य

प्रदर्शनी में किसी भी संक्रामक रोग ग्रस्त पशु को दाखला नहीं दिया जायेगा। अतः प्रदर्शनी में प्रवेश करते समय पशु की जॉच पड़ताल भली प्रकार से की जायेगी। यदि कोई पशु संक्रामक रोग ग्रस्त पाया गया तो उसको प्रदर्शनी में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। यदि संक्रामक रोग ग्रस्त पशु को दाखला मिल भी गया तो भी वह रद्द समझा जाएगा। प्रदर्शनी के दौरान संक्रामक रोग ग्रस्त पाए गए पशु को प्रदर्शनी कैम्प से उपचार हेतु प्रदर्शनी से बाहर कर दिया जाएगा और उसको दोबारा दाखले की स्वीकृति नहीं दी जाएगी, जब तक कि प्रदर्शनी अधिकारी पूरी तरह से पशु के स्वास्थ्य ने की तसल्ली न कर लें। इस सम्बन्ध में प्रदर्शनी अधिकारी का वार्ष्य अन्तिम होगा।

4. संक्रामक रोगों की रोकथाम

कोई भी पशु प्रदर्शनी में संक्रामक रोग से बचाव का टीकाकरण करवाए बिना प्रवेश नहीं कर सकेगा। इस फार्थ हेतु प्रदर्शनी कैम्प में पशु चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था की जाएगी। यह चिकित्सालय 24 घण्टे खुला रहेगा।

5. प्रदर्शनी नम्बर

प्रत्येक दाखिल हुए पशु को एक प्रदर्शनी नम्बर (शो नम्बर) दिया जाएगा जो पशु मालिक या उसके किसी साथी (जो पशु के साथ होगा) अपनी बायी भुजा पर बांधे रखेगा या अपनी कमीज के बांई ओर चिपकाये रखेगा।

6. प्रतियोगिताएं (मुकाबले)

पशुओं की प्रतियोगिता उनकी नस्ल या श्रेणी में ही होगी, जो पशु श्रेणी (मैरिट) में आएंगे उनको ईनाम दिए जाएंगे।

सरकारी पशुओं को किसी भी प्रकार का नकद ईनाम नहीं दिया जाएगा। इनको उनकी मैरिट अनुसार सर्टीफिकेट दिए जाएंगे। पशुपालकों के निजि पशु जो पुरस्कार विजेता होंगे व सरकारी पशु जो ब्रीड ग्रुप में प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता होंगे उनके साथ चैम्पियनशीप प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र होंगे।

7. ब्रीड चैम्पियनशीप / निमल ऑफ दी शो

केवल श्रेणी 1,2,3 तथा 5 के प्रथम पुरस्कार विजेता पशु ही प्रतियोगिता के ब्रीड चैम्पियनशीप में प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र होंगे। ब्रीड चैम्पियनशीप प्रतियोगिता में मुराह भैंस (श्रेणी क्रमांक 1), हरियाणा (श्रेणी क्रमांक 2), साहीवाल (श्रेणी क्रमांक 3) तथा विदेशी/संकर नस्ल (श्रेणी क्रमांक 5) के गौजातीय पशु ही भाग लेने के पात्र होंगे। ब्रीड चैम्पियनशीप में से एक 'एनिमल ऑफ दी शो' चयनित किया जायेगा।

8. ईनामों का विवरण

- (क) प्रत्येक श्रेणी में कम से कम 8 बड़े पशुओं अथवा 8 छोटे पशु समूह की भागीदारी आवश्यक है। किसी भी श्रेणी में इस निर्धारित संख्या से कम पशुओं की भागीदारी की स्थिति में नकद पुरस्कार का प्रावधान नहीं होगा।
- (ख) प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा सांत्वना पुरस्कार योग्यता के आधार पर चयनित करने उपरांत प्रदान किये जायेंगे।

- (ग) यदि कोई पशु एक से अधिक नकद पुरस्कार का पात्र बनता है, तो उसे केवल एक ही नकद पुरस्कार (जो कि अधिकतम नकद राशि का होगा) प्रदान किया जायेगा।
- (घ) ब्रीड चैम्पीयन व रनरअप का चुनाव केवल श्रेणी 1, 2, 3 तथा 5 के प्रथम पुरस्कार विजेता पशुओं में से ही होगा।
- (ङ) श्रेणी 6 (गौशाला) के पशु किसी भी अन्य श्रेणी के पशुओं की प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

9. जजिंग (आंकलन)

प्रदर्शनी अधिकारी प्रत्येक ब्रीड तथा जाति के पशुओं को पुरस्कार हेतु बुनने के लिए जजों (निर्णायकों) का एक पैनल बनाएंगे। यह पैनल पशुओं का यथा नियत निरीक्षण करके उसके स्वास्थ्य, उत्पादकता, उपयोगिता तथा गस्त गुणों की मैरिट के आधार पर पुरस्कार के लिए ध्यनित करेगा और जजों का फैसला अंतिम होगा।

10. प्रतियोगिता

जजिंग का कार्य ब्रीड व ग्रुप अनुसार निर्धारित कार्यक्रम अनुसार चलता रहेगा। पशु पालकों को इस कार्यक्रम के बारे में पहले ही जानकारी कर लेनी होगी। कार्यक्रम की सूचना प्रदर्शनी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। जजिंग (आंकलन) प्रक्रिया में भाग लेने वाले पशु को कोई पशुपालक किसी प्रकार की कोई विशेष वेश—भूषा या श्रृंगार आदि से अलंकृत नहीं कर सकता। अतः पशु को सादे रूप में प्रस्तुत करना होगा।

11. पुरस्कार वितरण समारोह

प्रदर्शनी के अन्तिम दिन पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि महोदय अपने कर कमलों

द्वारा ईनाम पाने वाले पशुओं के मालिकों को पुरस्कार वितरण करेंगे।

12. प्रदर्शनी में पशुओं का रहन—सहन

पशुओं को प्रदर्शनी में रखने के लिए टैंट/कैम्प का प्रबन्ध किया जाएगा। पशुओं को ब्रीड अनुसार इन टैन्टों/कैम्पों में रखना होगा। पशु पालक के लिए यह जरूरी होगा कि वह अपने पशु को प्रदर्शनी अधिकारी के द्वारा श्रेणी/ब्रीड अनुसार निर्धारित स्थान पर ही रखें।

13. पशुओं की खुराक

प्रदर्शनी कैम्प में ही पशुओं के लिए हरा/सूखा चारा मुफ्त उपलब्ध होगा। पशु मालिक को पशु खुराक का मूल्य नहीं देना होगा। पशु खुराक प्रत्येक वर्ग के लिए अलग—अलग होगी। खुराक केवल उन्हीं पशुओं के लिए उपलब्ध होगी जो प्रदर्शनी में पंजीकृत होंगे तथा उनके पास क्रमांक पांच में दिये गये शो नम्बर होंगे। यदि कोई पशु पालक अपने किसी पशु को विशेष खुराक या निर्धारित खुराक से ज्यादा खुराक देना चाहें तो उसके लिए से स्वयं प्रबन्ध करना होगा।

14. पशु स्थान की सफाई

प्रत्येक पशु मालिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने पशु स्थान की हर समय पूर्ण सफाई रखे और इसके साथ—साथ सम्बन्धित कार्यकर्ताओं व पड़ौसियों को सहयोग देना भी उसके लिए आवश्य है।

15. दुर्घटना या चोरी

विभाग की ओर से सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध किया जाएगा। फिर भी प्रदर्शनी में भाग लेने के उद्देश्य से आए किसानों अथवा पशुओं के मालिक दुर्भाग्यवश यदि दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या उनके पशुओं को किसी तरह की हानि या चोरी—चोट पहुंच जाए अथवा पण्डाल से हुई

चोरी आदि के परिणामस्वरूप नुकसान के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

16. अनुशासन व प्रशासन

हर पशु पालक का यथा नियम अनुशासनबद्ध रहना अनिवार्य है। प्रदर्शनी में लाए गए पशुओं को इस प्रकार रखना जरूरी होगा कि वह किसी प्रकार की हानि न करें। प्रदर्शनी कमेटी को उग्र पशुओं को पशु कैम्प से निकालने का अधिकार होगा।

17. पशु पालकों की बैठक

प्रदर्शनी का एक विशेष प्रोग्राम यह भी होगा कि राज्य के पशु पालक / पालकों की खुली बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें अनुभवी पशु पालक अपने विचार तथा कठिनाई और सुझाव देने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे।

18. नियन्त्रण

यह पशु प्रदर्शनी महानिदेशक पशुपालन एवं डेरी विभाग, हरियाणा की देखरेख में लगाई जाएगी है। अतः किसी भी विवादित परिस्थिति में महानिदेशक महोदय का निर्णय सभी मामलों में अन्तिम होगा।

9

(19) प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पशुओं की श्रेणी

	कैटेगरी	विवरण
1. मुराह भैंस की जातीय पशु	1. झोटा 2. युवा झोटा 3. दुधारू भैंस 4. शुष्क भैंस 5. झाटी 6. कटड़ा 7. कटड़ी	(प्रजनन योग्य, 4 से अधिक दाँत) (2 से 4 दाँत) (2 से 4 दाँत) (1 से 2 वर्ष) (1 से 2 वर्ष)
2. हरियाणा गौ जातीय पशु	8. साण्ड ¹ 9. दुधारू गाय 10. शुष्क गाय 11. बहुलियां 12. बैलों की जोड़ी	(प्रजनन योग्य) (2 से 4 दाँत)
3. साहीवाल गौ जातीय पशु	13. दुधारू गाय 14. शुष्क गाय 15. बहुलियां 16. साण्ड	(2 से 4 दाँत) (प्रजनन योग्य)
4. अन्य देसी गौ जातीय नस्लों की गाय (केवल थारपारकर, राठी, गिर, बिलाही)	17. दुधारू गाय (थारपारकर) 18. दुधारू गाय (राठी) 19. दुधारू गाय (गिर) 20. दुधारू गाय (बिलाही) 21. अन्य देसी गौ जातीय नस्लों के प्रजनन योग्य सांड (केवल थारपारकर, राठी, गिर व बिलाही)	

5. एग्जोटिक / एग्जोटिक क्रास	22. दुधारू गाय 23. शुष्क गाय 24. बहड़िया 25. साण्ड	(2 से 4 दाँत) (प्रजनन योग्य)
6. गौशाला के गौ जातीय पशु	26. दुधारू गाय 27. शुष्क गाय 28. साण्ड हरियाणा 29. साण्ड साहिवाल 30. बहड़ियां	(प्रजनन योग्य) (प्रजनन योग्य) (2 से 4 दाँत)
7. अश्व जातीय पशु	31. घोड़ा 32. घोड़ी 33. बच्छेरा 34. बच्छेरी 35. गैलडिंग 36. उंकी मेयर 37. उंकी स्टेलियन	(2 या इससे अधिक दाँत)
8. ऊंट जातीय पशु	38. ऊंट 39. ऊटनी	
9. भेड़ जातीय पशु (नाली नस्ल)	40. मेण्डा 41. तीन भेड़ों का समूह 42. तीन युवा भेड़ों का समूह 43. युवा मेण्डा	(6 या इरासो अधिक दाँत) (6 या इरासो अधिक दाँत) (2 से 4 दाँत) (4 से 4 दाँत)
10. भेड़ जातीय पशु (हिंसार ड्लेननस्ल)	44. मेन्डा 45. तीन भेड़ों का समूह 46. तीन युवा मेण्डा का समूह 47. युवा मेन्डा	(या इससे अधिक दाँत) (या इरासो अधिक दाँत) (से 4 दाँत) (से 4 दाँत)
11. बकरी जातीय पशु (किसी भी नस्ल की)	48. बकरा 49. दुधारू बकरी 50. युवा बकरी	(6 या इससे अधिक दाँत) (4 दांत से अधिक नहीं)

12

आवेदन पत्र
पशुधन प्रदर्शनी वर्ष 2024

सेवा में,

पशुधन प्रदर्शनी अधिकारी

शो. नं.

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि मैं अपने पशु जिसका पूर्ण विवरण नीचे दिया गया है को इस राज्य पशु प्रदर्शनी में प्रतियोगिता हेतु लाना चाहता / चाहती हूँ। कृपया इसके दाखिले की स्वीकृति प्रदान करें। मैं विश्वास दिलाता / दिलाती हूँ कि प्रदर्शनी के नियमों का पालन करूँगा / करूँगी तथा इसकी सभी धाराओं के प्रति नियमबद्ध रहूँगा / रहूँगी। अगर मेरे द्वारा किसी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो विभाग को अधिकार होगा, कि वह नियमानुसार मेरा आवेदन रद्द करने के साथ-साथ कोई भी कार्यवाही कर सकता है।

1. पशुपालक का नाम व पूरा नाम.....

आधार नं गोबाईल / फोन नं

2. पशु की (i) जाति (ii) नरल (iii) श्रेणी

3. पशु की आयु

4. टैग नम्बर

5. क्या पशु किसी पंजीकृत गुरुशाला का है / नहीं तो गुरुशाला का नाम व पता.....

पंजीकृत नं

6. क्या यह पशु पछले भी किसी पशु प्रदर्शनी पुरस्कृत हुआ है ? यदि हुआ है, तो उस प्रदर्शनी का नाम, स्थान व वर्ष लिखें.....

7. क्या पशु को संक्रामक रोगों (एच०एस० / एफ०एम०ली० / एल०एस०डी० / एस०पी० / पी०पी०आ०) के बावजूद कीका करवाया है (हाँ / नहीं) कीकाक९ण की तिथि.....
(संक्रामक रोगों के बावजूद कीका न लगायाने की स्थिति में पशु इस प्रदर्शनी में भाग लेने का पात्र नहीं होगा)

8. क्या पशु बिमित है (हाँ / नहीं).....

9. अगर नहीं है तो क्या बीमा करवाना चाहता है.....

नोट : 1. अगर पशुपालक अपने पशु के बारे में कोई भी तथ्य छूपाता है तो उक्त पशुपालक के पशु को महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरिंग, हरियाणा विभाग की अनुमति से पशु को पशु प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

2. निर्णय के दौरान निर्णायक मण्डल एवं पशुपालक के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग, हरियाणा का निर्णय अंतिम होगा एवं सभी पक्षों पर बाध्य होगा।

हस्ताक्षर / निशान अंगूठा
(पशु मालिक)

प्रमाणित किया जाता है कि पशु मालिक द्वारा उपरोक्त दिए गये तथ्य ठीक हैं, उपरोक्त वर्णित पशु को संक्रामक रोगों (एच0एस0 / एफ0एम0डी0 / एल0एस0डी / एस0पी0 / पी0पी0आर) के बचाव का टीका करवाया गया है तथा पशु को प्रदर्शनी में
..... श्रेणी व कैटेगरी में प्रवेश करने के लिए सिफारिश की जाती है।

14

पशु चिकित्सक
(मोहर)
मोबाइल फोन नम्बर

प्रदर्शनी कार्यालय हेतु

पशु को प्रदर्शनी में दाखिले को स्वीकृति दी जाती है। पशु को दिया गया शो नम्बर.....है।

देसां मै देस हरयाणा-जित दूध दही का खाणा

पंजीकरण अधिकारी,
पशु प्रदर्शनी

सेवा में,

उपनिदेशक,
पशुपालन एवं डेयरिंग

विषय : पुरस्कार राशि के डिजिटल भुगतान हेतु विजेता पशुओं के पशुपालकों के विवरण सबंधित सूचना ।

श्रीमान् जी,

उपरोक्त विषय बारे निवेदन है कि मेरे पशु जिसका शो नं..... ने दिनांक 11 से 13 मार्च, 2023 को आयोजित 39वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी, चरखी दादरी में पुरस्कार अर्जित किया है । पुरस्कार राशि के डिजिटल भुगतान हेतु विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

1. नाम.....
2. पिता / पति का नाम
3. निवासी
4. फोन नम्बर / मो. नम्बर.....
5. पैन नम्बर.....
6. आधार कार्ड नम्बर.....
7. पशुधन कैटेगरी संख्या.....
8. अर्जित की गई पुरस्कार राशि.....
9. बैंक का नाम.....
10. बैंक शाखा का पता
11. बैंक खाता नम्बर.....
12. बैंक का IFSC कोड.....

अतः आप से अनुरोध है कि मेरी पुरस्कार राशि मेरे खाते में जमा करवाने की कपा करें ।

सलंगन : कैंसल चैक

पासबुक की प्रति

हस्ताक्षर (प्रार्थी)

पशुपालन विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों के दूरभाष तथा ईमेल

S.No.	Name of Distt.	Ph. No.	E-mail
1.	Ambala	0171-2530613	ddicp.amb@hry.nic.in
2.	Bhiwani	01664-242593	ddicp.bhw@hry.nic.in
3.	Faridabad	0129-2421558	ddfbd.ahd@hry.nic.in
4.	Fatehabad	01667-224642	ddftb.ahd@hry.nic.in
5.	Gurgaon	0124-2202115	ddicp.grg@hry.nic.in
6.	Hisar	01662-225819	ddhsr.ahd@hry.nic.in
7.	Jind	01681-245229	ddicp.jnd@hry.nic.in
8.	Jhajjar	01251-257067	ddjjr.ahd@hry.nic.in
9.	Kurukshetra	01744-220126	ddicp.krk@hry.nic.in
10.	Karnal	0180-226764	ddicp.krl@hry.nic.in
11.	Kaithal	0174-225055	ddktl.ahd@hry.nic.in
12.	Mewat at Nuh	0129-274227	ddnuh.ahd@hry.nic.in
13.	Narnaul	0129-250221	ddnrl.ahd@hry.nic.in
14.	Panchkula	0172-2572916	ddpk1.ahd@hry.nic.in
15.	Panipat	0180-2638524	ddpnp.ahd@hry.nic.in
16.	Rewari	01274-225936	ddrwr.ahd@hry.nic.in
17.	Rohtak	01262-276439	ddroh.ahd@hry.nic.in
18.	Sonipat	0130-2220170	ddsnp.ahd@hry.nic.in
19.	Sirsa	01666-245007	ddicp.srs@hry.nic.in
20.	Yamuna Nagar	01732-237818	ddynr.ahd@hry.nic.in
21.	Palwal	01275-245632	ddahdpalwal@gmail.com
22.	Charkhi Dadri	01250-226006	ddahddadri@gmail.com

16



पशुपालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा

बेज नं. 9-12, सैकटर -2, पंचकुला, हरियाणा

फोन : 0172-2574663-64 | ईमेल : dg.ahd@nic.in